प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022 प्र0इ0रि0 सं. .....251/22.....दिनांक.....24/6/2022

2. (i) अधिनियमः- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0

   (ii) अधिनियम ..... धारायें .....

   (iii) अधिनियम ..... धारायें .....

   (iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....भा.द.सं.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....446 समय .....4:15PM.....

   (ब) अपराध घटने का दिन एंव वार.....31.03.2022....गुरूवार.....

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय ..... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- कार्यालय सहायक अभियंता जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जिला जालौर

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब पश्चिम दिशा करीब 420 किमी

   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना .....जिला .....,...

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- रवि कृष्ण

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री मगनाराम

   (स) जन्म तिथी- उम्र-33 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह .....

   (र) व्यवसाय -व्यवसाय

   (ल) पता- निवासी धूणीया मठ बापू नगर कॉलोनी जालोर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

   1. श्री शत्रुधन शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा निवासी लाल पोल के बाहर जालौर हाल सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जालौर
   2. श्री कांतीलाल पुत्र श्री हनुमानाराम निवासी शास्त्री नगर जालौर हाल तकनीकी हेल्पर द्वितीय (मीटर रीडर) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जालौर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- ..... रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 30.03.2022 को परिवादी श्री रवि कृष्ण पुत्र श्री मगनाराम जाति माली निवासी धूणीया मठ बापू नगर कॉलोनी जालोर द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस मजमून का प्रस्तुत किया कि "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक महोदयजी एसीबी राजस्थान जयपुर विषय-विद्युत विभाग जालोर शहर मे कार्यरत ए.ई.

एन. साहब शत्रुधन्न जी लिपिक जालम सिंह द्वारा दुकान के आगे लगे विद्युत लाईन के टॉवर को पास मे ही शिफ्ट करवाने के लिये भारी रिश्वत की राशि की मांग की गयी अत: सख्त कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय जी निवेदन प्रार्थी रविकृष्ण पुत्र मगनाराम जी जाति माली निवासी धूणीया मठ के सामने जालोर की इस प्रकार है कि मैने अपने सेठ की कृषि भूमि मे से एक दूकान का प्लाट मंगलाराम पुत्र मांगीलाल जी को जालोर के रिको थर्ड फेज मे बेचान करवाया था जहां पर मंगलाराम ने दूकान बना दी उस दूकान के आगे पहले से एक विद्युत लाईन का टॉवर था। बेचान करते वक्त मैने इस टॉवर का अन्यत्र शिफ्ट करवाने का मंगलाराम जी से वादा किया था ओर मंगलाराम जी ने टॉवर शिफ्ट नही करवाने तक प्लाट की किमत की कुछ राशि रोक रखी है। जो टॉवर शिफ्ट करने पर मुझे देने का कहा था अब मंगलारामजी काफी समय से मुझे उक्त टॉवर शिफ्ट करवाने के लिये दबाव बना रहे है और टॉवर को शिफ्ट करवाने के लिये मैने जनवरी 2022 मे पत्रावली मंगलाराम जी की सहमति से तैयार कर संबंधित लिपिक जालम सिंह को दी थी और साथ मे उसके मांगने पर 5000 रूपये भी दिये थे। लेकिन इस पत्रावली पर कोई कार्यवाही नही की गयी। बार बार कार्यालय मे जाकर पुछने पर जालम सिंह ने कहा कि पत्रावली खो गयी है। दुसरी तैयार करता हुं मैने दूसरी पत्रावली तैयार कर ए.ई.एन. श्री शत्रुधन्न जी के पास गया और टॉवर शिफ्ट करवाने का निवेदन किया शत्रुधन्न जी ने मुझे संबंधित लिपिक जालम सिंह के पास जाकर पत्रावली जमा करवाने का कहा मै जालम सिंह के पास गया और पत्रावली जमा कर मुझे रसीद देने का कहा जालम सिंह द्वारा टावर शिफ्टींग के पांच लाख रूपये की रिश्वत मांगी। मैने पत्रावली पुन: ली और शत्रुधन्न जी के पास गया। उन्हे जालम सिंह द्वारा पांच लाख की मांग की बात कही तो उन्होने कहा कम कर देगे और लास्ट साढे तीन लाख रूपये की मांग की और कहा कि इस साढे तीन लाख मे जालम सिंह टावर शिफ्ट करने वाले ठेकेदार श्रवण सिंह कनिष्ठ अभियंता विनोद जी एवं शिफ्टींग की स्वीकृती व नये सामान एलाटमेंट की सुविधा शुल्क के एस.ई. साहब की राशि शामिल है। जो मै शत्रुधन्न अपने आप दुंगा और कहा कि एस्टीमेंट कम से कम बनायेगे जो तुम्हे उसके अतिरिक्त जमा करवानी पडेगी साढे तीन लाख लेकर आ जाओ फिर पत्रावली मुझे दे देना। मैने कहा कुछ कम करने कर दो। शत्रुधन्न जी ने कहा बाद मे देख लेगे व्यवस्था रूपयों की कर दो। श्रीमानजी मैने इसके पश्चात कई बार कार्यालय के चक्कर लगाये, साढे तीन लाख से कम मे टावर शिफ्ट नही होगा हर बार यही कहा। अत: परेशान होकर मै आपके समक्ष उपस्थित हुआ हुं। कृपया कार्यवाही करावे। एसडी रवि कृष्ण पुत्र श्री मगनाराम जाति माली निवासी धूणीया मठ बापू नगर कॉलोनी जालोर मो.नं. 9950931009

परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरे सेठजी श्री दिव्य प्रकाश गोयल निवासी पोल जी नगर जालोर है। जो प्रोपर्टी का कार्य एवं बिजनस करते है। उनका सारा काम मे ही देखता हुं। श्री दिव्य प्रकाश जी ने रिको एरिया जालोर मे दुकानों की जमीन बेची थी। इन दुकानों की जमीन श्री दिव्य प्रकाश गोयल जी की अनुमति से मैने ही लोगो का बेची थी। उक्त शिकायत मे जो दुकान का भुखण्ड श्री मंगलाराम को बेचा था। उसने दुकान के सामने का लाईट का पोल शिफ्टींग करवाने के बाद बचा हुआ पैमेन्ट चार लाख रूपये देने की बात हुयी थी। मेरे सेठजी एवं श्री मंगलाराम की अनुमति से ही मैने पोल सिफ्टींग का कार्य हेतु श्री शत्रुधन एईएन विद्युत विभाग के कर्मचारियों से सम्पर्क कर फाईल लगायी थी। इस क्रम मे श्री जालम सिंह ने मेरे से स्वंय के लिये 5000 रूपये ले भी लिये है तथा श्री शत्रुधन एईएन ने पोल सिफ्टींग के लिये साढे तीन लाख रूपये रिश्वत के मांगे है। मेरे सेठजी तथा मै उक्त भ्रष्ट अधिकारीयो/कर्मचारियों को रिश्वत नही देना चाहता हुं। श्री शत्रुधन एईएन एवं उक्त कर्मचारियों ठेकेदार से मेरी तथा मेरे सेठजी की कोई रंजिश नही है और नाही कोई उधार का रूपया लेन देन बाकी है। परिवादी प्रस्तुत उक्त शिकायत तथा दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग एवं लेन देन का पाया गया।

उक्त रिपोर्ट पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो परिवादी श्री रवि कृष्ण से श्री शत्रुधन एईएन ने रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान तीन लाख रूपये रिश्वत लेन-देन की बात हुयी जिसमे डेढ लाख रूपये डिमान्ड नोटिस के तथा डेढ लाख रूपये रिश्वत के रूप मे देने के लिये कहा तथा रिश्वती राशि कांतीलाल मीटर रीडर को देने के लिये कहा था। दिनांक 12.04.2022 को श्री कांतीलाल मीटर रीडर का परिवादी के पास फोन आया तथा मिलने के लिये कहा जिस पर परिवादी कांतीलाल हेल्पर (मीटर रिडर) से मिला जिसने तीन लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग करी थी। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं की नियमानुसार फर्द ट्रांसकिप्ट एवं सीडिया तैयार की गई।

परिवादी दिनांक 18.04.2022 को ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया एवं बताया कि आरोपीगणों से रिश्वत के सम्बंध में तीन लाख रूपये देने की बात हुई है जिसमें से दो लाख रूपये काम होने से पहले तथा एक लाख रूपये काम शुरू होने के बाद देने के लिए कहा है। परिवादी ने यह भी बताया है कि श्री कांतीलाल मीटर रीडर मिला था जिसने श्री शत्रुधन एईएन का ट्रांसफर होना बताते हुए उसके द्वारा हाईकोर्ट से ट्रांसफर पर स्टे ले रखा है जिसमें अग्रीम तारीख पेशी दिनांक 23.04.2022 है, इस कारण से श्री कांतीलाल ने स्वंय के मार्फत रिश्वत लेनदेन से मना किया एवं श्री शत्रुधन एईएन को सीधे ही रिश्वत देने के लिए कहा है। परिवादी श्री रवि ने स्वतंत्र गवाहान समक्ष आरोपी को दिये जाने वाली रिश्वती राशि दो लाख रूपये पेश करने पर मुताबिक फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर दिनांक 19.04.2022 को जालौर पहुंचे एवं ट्रेप जाल बिछाया गया, लेकिन आरोपी श्री शत्रुधन एईएन ने दिनांक 23.

04.2022 को अपने ट्रासंफर पर हाईकोर्ट से निर्णय होने के बाद काम करने के लिए कहा इसलिए ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी।

परिवादी श्री रविकृष्ण से मन पुलिस निरीक्षक की दिनांक 27.04.2022 को वार्ता हुई थी जिसमें परिवादी ने बताया था कि आरोपी ने दिनांक 29.04.2022 को डिमांड नोटिस निकालने के लिए कहा था आरोपी से परिवादी की 28.04.2022 को भी बात हुई थी जिसने कहा कि एस्टीमेंट नही बनाउगा तुम्हारा काम कर दूंगा तथा आरोपी के ट्रासफर पर स्टे होना आरोपी ने बताया है दिनांक 30.4.2022 को भी परिवादी की आरोपी से वार्ता हुई थी जिसमें परिवादी को 32,000 रूपये का एस्टीमेट बनाना बताया लेकिन एस्टीमेंट की कापी दिखाने से मना कर दी और कहा कि एस्टीमेंट की कापी दिखाने पर लोगबाग एस्टीमेंट की राशि जमा करा देते है उपर का खर्चा पानी नहीं देते है आरोपी ने परिवादी को दिनांक 01.05.2022 को रूपये का इंतजाम करने की बात कही तब परिवादी ने सेठजी से चैक लाकर दिनांक 02.05.2022 को बैंक से पैसे निकलवाकर देने की बात कही जिस पर आरोपी एईएन ने परिवादी को कहा कि' बैंक से पैसे निकलवाने के बाद जिस बैंक से पैसे निकलवाओ उस बैंक के बाहर खडा हुं यही बात मोबाइल पर बताना ज्यादा बात मत करना अत: दिनांक 02.05.2022 को रिश्वत लेनदेन होने की संभावना होने पर दिनांक 19. 04.2022 को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वति राशि 2 लाख रूपये ब्यूरो कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित लिफाफे में रखवाये गये थे जो श्री रामकल्याण हैड कानि. से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निकलवाये जाकर पूर्व में तैयार कर फर्द पेशकशी नोट दिनांक 18.04.2022 से मिलान करवाया जाकर लिफाफे सहित श्री रामकल्याण हैड कानि. के बैग में सुरक्षित रखवाये तथा हिदायत दी गई कि जालौर में परिवादी के मिलने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को सुपुर्द करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये तथा ट्रैप कार्यवाही में काम लिए जाने वाले गिलास, शीशीयों, चम्मच इत्यादि को अच्छी तरह साबुन पानी से धुलवाये जाकर ट्रैप बाक्स में रखवाया गया।

दिनांक 02.05.2022 समय करीब 5.30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक नीरज भारद्वाज स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स मय सामान सरकारी के सरकारी वाहनों के गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय करीब 10.50 एएम परिवादी श्री रविकृष्ण अम्बेडकर सर्किल आहोर से जोधपुर मार्ग पर बनी हुई होटल पर मिला जिसको स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री रामकल्याण हैड कानि के पास रखी हुई रिश्वति राशि दो लाख रूपये बाद जामा तलाशी के परिवादी की पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में आगे रखवाये गये तथा परिवादी को विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर मय एसडी कार्ड के सुपुर्द किये। परिवादी को एक्सिस बैंक जालौर के बाहर पहुंचकर आरोपी को फोन करने से पूर्व रिकार्डर को चालू करने की हिदायत देकर रवाना किया गया तथा श्री रामकल्याण हैड. कानि को सरकारी वाहन में छोडा जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के एक्सिस बैंक के बाहर अपनी गोपनीयता छुपाते हुए मुकिम हुआ। समय करीब 2.45 पीएम पर परिवादी मन पुलिस निरीक्षक के पास वापस आया तथा दोनों विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर बंदशुदा देते हुए बताया कि आरोपी शत्रुघ्न एईएन को मैने दो तीन मोबाइल फोन एवं वाटसअप काल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। परिवादी ने बताया कि आरोपी अचानक मेरे घर पर रिश्वत लेने आ सकता है। अत: परिवादी को पूर्व से सुपुर्द शुदा रिश्वति राशि व विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर परिवादी के पास छोडे गये तथा हिदायत की कि यदि आरोपीगण उसके निवास पर आते है तो मन पुलिस निरीक्षक को तुरत अवगत करावे तथा विभागीय डिजीटल वायस रिकाडर चालू करके वार्ता को रिकार्ड करे तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय श्री रामसिंह उपनिरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि. 85, श्री देवेन्द्र सिंह कानि.68, मय स्वतंत्र गवाहान व सरकारी वाहन मय चालक श्री रमेश कुमार के परिवादी के घर के पास होटल में मुमकीन हुए।

दिनांक 03.05.2022 को परिवादी ने समय करीब 09.04 एएम पर पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल फोन बताया कि श्री कांतीलाल मीटर रीडर मय श्री शत्रुघन एईएन स्कुटी से मेरे घर के बाहर आये है। सम्भवतया वह मेरे से रिश्वत लेकर जायेगे। अत: आप तुरन्त मेरे घर के पास आ जावे। परिवादी को रिकार्डर ऑन करने की हिदायत मुनासिब की गयी। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री रामसिंह उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश कानि0, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0, मय सरकारी वाहन सामान सरकारी तथा परिवादी द्वारा उपलब्ध करवायी गयी मोटरसाईकिल से परिवादी के घर की ओर रवाना हो गये थे। परिवादी के घर के पास 09.10 एएम पर ट्रेप जाल बिछाया गया। परिवादी के घर के बाहर एक एक्टिवा स्कुटर खडा दिखायी दे रहा था। करीब 10.00 एएम पर परिवादी के घर के अन्दर से दो व्यक्ति बाहर निकले इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यगण भी परिवादी के घर के पास पहुंचे तब तक परिवादी भी अपने घर से बाहर निकल चुका था। परिवादी ने निर्धारित ईशारा नही किया तथा अपनी गर्दन को हिलाकर रिश्वत राशि नही देने का ईशारा किया। उक्त दोनो व्यक्ति स्कुटर लेकर रवाना हुये। परिवादी ने अपने पास रखे हुये टेप रिकार्डर बन्द कर बताया कि स्कुटी के पिछे श्री शत्रुधन एईएन बैठा हुआ था तथा स्कुटी को कांतीलाल मीटर रीडर चला रहा था। श्री शत्रुधन एईएन ने मेरा काम दिनांक 25.05.2022 तक करने के लिये कहा है तथा रिश्वती राशि कभी भी कांतीलाल आकर ले जायेगा। रिश्वती राशि मेरे घर पर ही रखने के लिये कहा है। श्री कांतीलाल ने भी कहा कि रिश्वती राशि एक थैली मे बांधकर

रख देना तुम घर पर नही होवोगे तब भी मै तुम्हारे घरवालो से रूपये मांगकर ले जाउंगा तथा रिश्वती राशि के बारे मे किसी को भी नही बताने के लिये कहा। यह बात किसी को बता दी एसीबी वाले मेरे को तथा मेरे सेठजी को भी मुलजिम बना सकते है। श्री शत्रुधन ने यह भी कहा कि रिश्वत लेना और देना अपराध है। इसलिये यह बात किसी को भी मत बताना तथा जब तक काम नही हो तब तक एईएन व कांतीलाल से टेलिफोन पर बात नही करने की हिदायत दी है। श्री कांतीलाल कभी भी रिश्वती राशि लेने आ सकता है। इसलिये रिश्वती राशि तथा रिश्वत लेन देन के समय वार्ता को रिकार्ड करने हेतु विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर हिदायत मुनासिब कर छोडे गये। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के वापस होटल मे आकर मुकिम हुये। दिनांक 5.05.2022 को आरोपीगण ने अभी तक परिवादी के पास रिश्वती राशि लेने नही आये है इसलिये परिवादी को होटल मे बुलवाया गया परिवादी ने बताया कि श्री कांतीलाल के घर मे शादी है इसलिये वह चार पांच दिन तक दुकान भी नही जावेगा तथा मिलने की संभावना भी नही है। श्री शत्रुधन एईएन का गोपनीय रूप से मालुमात करवाया तो वह चार दिन अवकाश पर होना तथा उदयपुर की तरफ जाना ज्ञात हुआ है। रिश्वत लेन देन से पूर्व उक्त आरोपीगण परिवादी के पास दिनांक 03.05.2022 को घर गये थे। तब भी आरोपी एईएन ने स्वंय को शुक्रवार को उज्जैन जाने की बात बतायी थी तथा बुधवार तक आने की बात कही है। चुंकि अब रिश्वत का लेन देन होना सम्भव नही है। अत: परिवादी के समक्ष रिश्वत लेन देन से पूर्व दिनांक 19.04.2022 एवं 03.05.2022 को रिकार्ड हुयी वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार कर सीडीया तैयार की गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे माइक्रो एसडी कार्ड को निकालकर एक कागज के लिफाफे में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर पैकेट को ''एसडी'' मार्का अंकित किया गया। परिवादी को रिश्वती राशि पूर्व मे सुपुर्द की गयी थी जो वापस प्राप्त कर एक लिफाफे मे रखवाकर सुरक्षित रखी गयी। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना होकर दिनांक 06.05.2022 समय करीब 06.30 एएम पर रवानाशुदा मय हमराहीयान के ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा जहां पर रिश्वति राशि को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 17.05.2022 समय करीब 4.59 पीएम पर जरिये मोबाईल फोन बताया कि उसके घर पर कांतीलाल आया था और रिश्वती राशि मांग रहा था एवं कहा कि अमावस्या आने वाली है उस दिन तुम्हारा पोल हटाने का काम एईएन साहब करवा देगे अब तू मुझे रूपये देगा तब मै एईएन साहब को दूंगा तब तेरा काम होगा इस पर मैने कहा कि मेरे पास रूपये तो खर्च हो गए मेरे पास अभी रूपये नही है, इस पर कांती लाल ने कहा कि मेने तुम्हे कहा था कि मै कभी भी आकर रूपये ले जाउंगा रूपये घर पर ही रखना तुमने खर्च क्यो कर दिए। मै अब कभी भी वापस आ जाउंगा तीन चार दिन मे रूपये की व्यवस्था हो जाए तब मेरे को बता देना। मै तेरे घर आकर रूपये ले जाउंगा। एईएन तथा कांतीलाल जब मेरे घर आए थे तब उन्होने दिनांक 25-5-2022 तक काम हो जाने की बात बताई थी। अत: आप 24-5-2022 को जालोर टीम सहित आ जाना उस दिन रिश्वती राशि का लेन देन कांतीलाल से हो सकता है। दिनांक 24.05.2022 समय करीब 05.30 एएम परिवादी द्वारा दिनांक 18-4-2022 को मुताबिक फर्द पेशकशी नोट के प्रस्तुत 2,00,000/- रूपये जो ट्रेप कार्यवाही नही होने पर वापस सुरक्षित ब्यूरो कार्यालय की आलमारी में रखे हुए थे जिनको स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निकलवाकर फर्द पेशकशी दिनांक 18-4-2022 से मिलान करवाया गया तो मुताबिक फर्द पेशकशी 2,00,000/- रूपये पाए गए जिनको वापस एक सफेद लिफाफे मे रखवाया उक्त रिश्वती राशि के लिफाफे को गवाहान के समक्ष सरकारी वाहन संख्या आरजे-14-यूसी-8799 के डेसबोर्ड में रखवाए जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय ट्रेप बॉक्स एवं सामान सरकारी सहित सरकारी वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से गोपनीय कार्यवाही हेतु जालोर के लिए रवाना होकर जालोर रेल्वे फाटक के पहले मुकीम हुए। परिवादी उपस्थित मिला। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री रूपेश कुमार कानि0 चालक से डेसबोर्ड में रखे रिश्वती राशि 2,00,000/- रूपये का लिफाफा मंगवाया जाकर लिफाफे को खुलवाकर उक्त रिश्वती राशि के नोटो को उपर नीचे करवाया जाकर परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में श्री रूपेश कुमार कानि0 चलाक से रखवाए। लिफाफे को फाड़कर नष्ट किया गया तथा नर्सरी में से पानी की व्यवस्था कर श्री रूपेश कुमार कानि0 चालक के हाथो को साबुन पानी से धुलवाए गए। परिवादी को विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्ड जिसमें नया माईक्रो एसडी कार्ड लगाकर परिवादी को सुपुर्द किए गए। परिवादी ने बताया कि श्री कांतीलाल कभी भी मेरे घर आ सकता है अत: परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपने घर पर पर चला जावे तथा आरोपी रिश्वत राशि लेने आवे तब तुरन्त गोपनीय रूप से डिजिटल वाईस रिकार्ड चालू कर लेवे तथा मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये टेलीफोन सूचना करावे। परिवादी के पास विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर आरोपी श्री कांतीलाल के पास रिश्वती राशि देने हेतु रवाना किया। परिवादी ने वापस आकर बताया कि वह कांतीलाल की दुकान पर गया था जिसने नाराज होते हुए कहा कि तेरे को दो दिन मे रिश्वती राशि देने के लिए कहा था तूने रिश्वती राशि उपलब्ध नही करवाई है अब तेरा काम नही होगा तेरा काम साहब भी नही करेगे तथा मुझे जाने के लिए कहा इसलिए मै वापस आ गया। मै अब एईएन साहब से मिलूंगा। समय करीब 7.00 पीएम पर परिवादी श्री रवि कृष्ण को रिकार्डर ऑन करके आरोपी श्री शत्रुघन सहायक अभियंता के घर पर भेजा गया। समय करीब 7.30 पीएम पर परिवादी श्री रविकृष्ण वापस आकर

मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै आरोपी श्री शत्रुघन सहायक अभियंता के घर पर गया तब श्री शत्रुघन के घर के बाहर उसकी बहिन बैठी हुई थी जिसको परिवादी ने अपनी कार मे बैठे बैठे ही पूछा कि भैया है क्या तो पहले तो वह अपनी गर्दन हिलाते हुए श्री शत्रुघन को घर पर होना ही बताया तब श्री शत्रुघन एईएन गेट के साईड से झूक कर मेरे को देखा तो मुझे दिख गया था जिसने अपनी बहिन की तरफ हाथ से नही होने का ईशारा किया तब उसकी बहिन ने वापस बाहर आई तथा मैने पूछा तो उसने अपना हाथ हिलाते हुए शत्रुघन एईएन का घर पर नही होना बताया। परिवादी श्री रवि कृष्ण ने जरिये टेलीफोन मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि अभी-अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक लड़का मेरे घर पर आया तथा उसने पूछा कि रवि जी का घर यही है क्या तब मै घर के बाहर आया तो उसने कहा कि मुझे एईएन साहब शत्रुघन जी ने भेजा है तथा कहा है कि रवि को यह बता देना कि वह मेरे घर पर नही आवे उसका काम नही होगा तथा उसकी जो पोल हटाने की फाईल है वह फाईल दो चार दिन मे उसको मिल जावेगी। मेरे पास तथा कांतीलाल के पास जाने की जरूरत नही है। परिवादी ने यह बताया कि संभवतया वह सुबह अचानक मेरे पास आ जावे इसलिए मै रिश्वती राशि तथा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मेरे पास ही रख लेता हूं। यदि वह अचानक आ जाऐगे तो मै आपका सूचना कर दूंगा। इस पर परिवादी को हिदायत मुनासिब कर अपने घर पर ही रहने के लिए कहा तथा प्रातः 9 बजे करीब होटल मे आने की हिदायत मुनासिब की गई।

दिनांक 25.05.2022 समय करीब 09.00 एएम परिवादी श्री रविकृष्ण होटल मे उपस्थित आया तथा परिवादी ने ट्रेप कार्यवाही नही होने की संभावना जताते हुए ट्रेप कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाए गए दो लाख रूपये वापस लौटाने का निवेदन किया जो ट्रेप कार्यवाही नहीं होने के कारण वापस लौटाये गये। परिवादी तथा कांतीलाल की दिनांक 24-5-2022 को रिश्वत लेन देन से पूर्व जो वार्ता हुई उसका रिकार्डर परिवादी ने प्रस्तुत किया जिसको सुनकर नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा वार्ता की नियमानुसार डीवीडी बनायी। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे माइक्रो एसडी कार्ड को निकालकर एक कागज के लिफाफे में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर पैकेट को ''एसडी-1'' मार्का अंकित किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय सामान सरकारी सहित ब्यूरों कार्यालय के लिये रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री रविकृष्ण द्वारा शिकायत में कये गये जायज कार्य विद्युत लाईन के टॉवर को पास मे ही शिफ्ट करवाने की एवज मे आरोपीगण श्री शत्रुधन सहायक अभियंता एवं श्री कांतीलाल (हेल्पर) मीटर रीडर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जालौर द्वारा तीन लाख रूपये की रिश्वत मांग करना जिनमें से 2,00,000/-रू0 (दो लाख रूपये) रिश्वत के कार्य पूर्ण होने से पूर्व तथा एक लाख रूपये कार्य पूर्ण होने के बाद मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया लेकिन ट्रेप पार्टी का आभास होने के कारण एवं स्वयं के स्थानान्तरण एवं उसके खिलाफ चल रही जांच से घबराने के कारण लेन देन नही होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, जो अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0दं0सं0 का अपराध बनना पाया गया। अतः उक्त आरोपीगण 1.श्री शत्रुधन शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा निवासी लाल पोल के बाहर जालौर हाल सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जालौर एवं 2.श्री कांतीलाल पुत्र श्री हनुमानाराम निवासी शास्त्री नगर जालौर हाल तकनीकी हेल्पर द्वितीय (मीटर रीडर) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जालौर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(नीरज भारद्वाज)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री शत्रुधन शर्मा, सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जालोर एवं 2. श्री कांतीलाल, तकनीकी हेल्पर द्वितीय (मीटर रीडर), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 251/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2210-15 दिनांक 24.6.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
4. अधीक्षण अभियंता(पवस), जोधपुर डिस्कॉम, जालोर।
5. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

24.6.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।